

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल।
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 4.10.2014

क्रमांक एफ 16-5/2014/बी-व्यारह मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. (परियोजना क्र. 2) का ग्राम झांड, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना में सीमेंट प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि-

1. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (परियोजना क्रमांक 2) को उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्ययोजना 2010 (यथा संशोधित 2012) अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे-
 - (i) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता- 75 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों हेतु।
 - (ii) प्रवेश कर से छूट- प्रथम कच्चा माल के क्रय दिनांक से 7 वर्षों हेतु।
 - (iii) केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित विद्युत पर विद्युत शुल्क से छूट- ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.02.2013 अंतर्गत 10 वर्षों तक शर्तों के अद्याधीन छूट प्रदान की जावे।
2. ग्रिड से प्राप्त विद्युत पर विद्युत शुल्क से छूट- ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 में किए गए प्रावधान अनुसार विद्युत शुल्क से छूट शर्तों के अद्याधीन प्रदान की जावे।
3. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16-5/2014/बी-भ्यारह

भोपाल, दिनांक 4. 10.2014

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/ राजस्व विभाग/ ऊर्जा विभाग/ खनिज साधन विभाग/ जल संसाधन विभाग/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि, भोपाल।
5. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा।
6. कलेक्टर, जिला सतना।
7. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, रीवा।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लि., रीवा
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना।
10. श्री एन.के. जैन, वार्डस प्रेसिडेन्ट, (एफ एण्ड सी), मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. (परियोजना क्र. 2), वारस्ते श्री मनोज गुप्ता, बैंक कालोनी के पास, भरहुत नगर, सतना (म.प्र.)। कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेष करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग